



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 135 राँची, गुरुवार,

20 मार्च, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

19 मार्च, 2025

संख्या-ख०नि०(नीति)-01/2025-810--राज्य के खनिज राजस्व का मुख्य स्रोत कोयले से प्राप्त होने वाला राजस्व है तथा सरकारी कम्पनियों द्वारा बहुतायत (लगभग 85%) कोयले का प्रेषण Power/Regulated Sector के उद्योगों में किया जाता है। Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयले का बिक्रय मूल्य कोल इण्डिया लि० द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोयले के समान ग्रेड, जो Power/Regulated Sector के उद्योगों के लिए किया जाता है का प्रेषण खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से कोल इण्डिया लि० एवं अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किये जाने पर विक्रय मूल्य कोल इण्डिया लि० द्वारा साधारणतया निर्धारित मूल्य से अधिक प्राप्त होता है।

- 2). प्रावधानों के आलोक में कोयला खनिज के विक्रय मूल्य का 14% रॉयल्टी मद में राज्य सरकार को प्राप्त होता है। उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से कोयला की बिक्री नहीं किये जाने की स्थिति में लगभग 85% कोयला, जो Power/Regulated Sector को प्रेषित किया जाता है। उसके उपर स्वामिस्व/रॉयल्टी की वसूली की यथोचित प्राप्ति नहीं होती है एवं स्वामिस्व/रॉयल्टी की वसूली हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।
- 3). अतएव उपरोक्त विसंगती के सुधारात्मक कार्य हेतु झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली, Other than Power/Regulated Sector को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला के Invoices के आधार पर परिशिष्ट-I के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा की जाएगी ।
- 4). उपरोक्त निर्धारित मूल्य के आधार पर ही कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर श्रेणीवार स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली की जाएगी ।
- 5). खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (परिशिष्ट-I) संलग्न है ।

उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-12.03.2025 में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट-I

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली हेतु विभिन्न कोल कम्पनियों द्वारा जारी Invoices के आधार पर मूल्य के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ।

1. खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा कोल कम्पनियों/JIMMS इत्यादि स्रोतों से कोयला खनिज का श्रेणीवार विक्रय मूल्य Other than Power/Regulated Sector को प्रेषित किये गये कोयले के बावत सूचना प्राप्त की जाएगी ।
2. झारखण्ड राज्य को स्वामिस्व (रॉयल्टी) के वसूली हेतु श्रेणीवार उपलब्ध विक्रय मूल्य के आँकड़ों का भारित औसत प्रतिटन में श्रेणीवार माहवार निर्धारित किया जाएगा ।

उदाहरण:-

क्र०	कोयला प्रेषण का स्रोत	श्रेणी (ग्रेड)	वजन/परिमाण	विक्रय मूल्य (रूपये प्रतिटन)
1.			X1	Y1
2.			X2	Y2
.			.	.
.			.	.
.			.	.
.			.	.
N			XN	YN

भारित औसत मूल्य = $X1 * Y1 + X2 * Y2 + \dots + XN * YN / (X1 + X2 + \dots + XN)$

- **N** = Other than Power/Regulated Sector को प्रेषित किये गये कोयले के बावत श्रेणीवार विक्रय मूल्य तथा वजन/परिमाण की संख्या ।
3. उपरोक्त निर्धारित मूल्य का प्रकाशन खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारिक बेवसाईट JIMMS पर किया जाएगा ।
 4. उपरोक्त निर्धारित मूल्य के आधार पर ही Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर श्रेणीवार स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली की जाएगी ।
